

प्रेषक,

मो० वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
✓ नगर निगम, अयोध्या ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 08 नवंबर, 2023

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या -37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 400/न०नि०अयो०/ 23, दिनांक- 22.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर निगम, अयोध्या में निर्माण कार्य कराये जाने हेतु पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत धनराशि रू० 65.00 लाख स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर निगम, अयोध्या में निर्माण कार्य हेतु कुल धनराशि रू० 65.00 लाख (रू० पैसठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं एकमुश्त धनराशि रू० 65.00 लाख (रू० पैसठ लाख मात्र) पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

## अनुदान संख्या -37

( धनराशि लाख रुपये में)

निकाय का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	एकमुश्त 100 प्रतिशत निर्गत धनराशि
नगर निगम, अयोध्या	कैलाशपुरी में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य	65.00	65.00	65.00
योग		65.00	65.00	65.00

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात् दस समान वार्षिक किशतों में समायोजित की जायेगी।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपोजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्याय पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।
- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्डक-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ

होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।


- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायगा।
- (10) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या - 227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (11) नियमानुसार समस्तक आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्ता करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) निष्प्रियोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (14) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायगा।
- (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (18) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।
- (19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये नगर आयुक्त/संबन्धित अभियंता उत्तरदायी होंगे।
- (20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
- (21) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि धनराशि की बचत होती है, उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (22) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 65,00,000 ( रुपये पैंसठ लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के

आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021910500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,


  
(मो0 वासिफ)  
अनु सचिव।

संख्या- 73 /2023/2466/11-9-23/001-E-1754923, तद् दिनांक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, अयोध्या।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, नगर निगम, अयोध्या।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
9. गार्ड फाइल।
10. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

  
(मो0 वासिफ)  
अनु सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-08/11/2023


प्रेषण संख्या:- 73  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-73-2023-2466-9-9-23-001-E-1754923  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
191 - नगर निगमों को सहायता  
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	6500000 39299000	6500000 39299000
	योग	वर्तमान प्रगामी	6500000 39299000	6500000 39299000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैसठ लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ बानवे लाख निन्यानवे हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव